फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ

प्रिया बनाम **कर्णसिंह**

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. नम्बर 50 सन–2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारिख
28.05.2018	वकील सायल ने यह प्रार्थना –पत्र सायल की ओर से पेश किया प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर जावे। वकील सायल को स्थगन पर सुना गया प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया प्रथम दृष्टया प्रकरण, सूविधा का सन्तुलन , अपूर्णीय क्षति सायल के पक्ष में प्रतीत होता है अतः प्रस्तुत दस्तावेज एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए गैरसायलान को बरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि वह रोंही मौजा भूंकरका के खसरा न0 224/2 की 1.2900हैक , खसरा न0 225 की 6.0700हैक कुल 7.3600हैक में गैरसायल न0 1 कर्णसिंह के नाम से दर्ज 1/4 हिस्सा भूमि की उभयपक्ष आगामी तारीख पेशी दिनांक 05.06.2018 तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे। इस सम्बध मे यदि गैरसायल को कोई उज्र व एतराज हो तो इस न्यायालय मे असालतन या वकालतन उपस्थित होकर वजह जाहिर करे अन्यथा क्यो ना यह आदेश ताफ़ैसला दावा कन्फर्म कर दिया जावे । बाद मियाद गुजरने कोई उज्र एवं एतराज नही सुना जावेगा आदेश जारी होकर पत्रावली दिनांक 05.06.2018 को पेश हो। 5/6/18 पत्रावली कोर्ट कैम्प ...में पेश हुई पक्षकार ... अदालत होने पर आईन्दा दिनांक 21.8.18 मु0 पर पेश हो 21/8/18 पत्रावली पेश हुई ... मु. के बाद ... 12.10.18 12.10.18 पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी.ओ. साहब अन्य कार्य के ... 14.12.18	

Stay-Ordar -Seet-16

Scanned with CamScanner

14.12.18 पत्रावली पेश हुई श्री जी. ओ. साहब

.....

पत्रावली दि० ..... को पेश हो

31.1.19

31.1.19 पत्रावली पेश हुई श्री जी. ओ. साहब

.....

पत्रावली दि० ..... को पेश हो

25-3-19

विपिन कंवर

25/3/2019 पत्रावली पेश हुई पत्रीय प्रार्थीगण उपस्थित व प्रार्थीगण ने निवेदन किया की आपसी रजीनामा होने के कारण प्रार्थीगण ने अपना वाद वापिस करवा लिया गया इसलिये प्रार्थना पत्र भी खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थीगण / वादीगण ने अपना वाद आपसी रजीनामा होने पर नहीं चलाने के कारण खारिज करवा लिया है प्रार्थनापत्र से सम्बन्धित वाद का निस्तारण होने के कारण प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर उसे ओपन कराया गया।

Scanned with CamScanner